न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 33 / 2021

अनवान :–

1. संजय कुमार पुत्र बाबूलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. रोहिताश पुत्र बालचन्द जाति सैनी निवारी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।

गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री मांगेराम गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 25/10/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प थालडका में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 4 / 4 की कुल 1.5180हैक दर्ज है।

रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 174 / 4 की कुल 1.5180हैक भूमि गैरसयाल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल गांव से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ते से होते हुए गैरसायल की रोही मौजा चक 23 एनटीआर के प0न0 336 / 432(62) के किला न0 12 ,19 ,22 पूर्व दिशा में 1–1 / 2 , विस्वा रास्ता से होते हुए अपने खेत रोही मौजा चक 23 एनटीआर में प्रवेश करते है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है यही रास्ता सुविधाजनक है प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा रोही मौजा चक 1 टीकेएम के खाता संख्या 37 / 35 के प0न0 219 / 398(9) के किला न0 21 / 1 के मिन पश्चिम में 2 गठठा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे एवं रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त गैरसायलान उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाव भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल अपनी खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः साायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल की रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 174 / 4 के प0न0 336 / 432 (62) किला न0 12 ,19 ,22 में पूर्व दिशा में 1–1 / 2 विश्वा रास्ता प्रत्येक किला में स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प0न0 336 / 432(62) के किला न0 8 में 4–1 / 2 बिश्वा भूमि गैरसायल के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021

कैम्प कोर्ट......22 एनटीआर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 245 दिनांक 25.10.2021

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 सन 2021 निर्णय दिनांक

अनवान :–

अनवान :–

1. संजय कुमार पुत्र बाबूलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1 रोहिताश पुत्र बालचन्द जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।

गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 174 / 4 के प0न0 336 / 432 (62) किला न0 12 ,19 ,22 में पूर्व दिशा में 1–1 / 2 विश्वा रास्ता प्रत्येक किला में स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प0न0 336 / 432(62) के किला न0 8 में 4–1 / 2 बिश्वा भूमि गैरसायल के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner